स्कूली शिक्षा संदर्भ में शिक्षा नीति 1986 और 2020 के मध्य तुलनात्मक शैक्षिक अध्ययन

''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ''

शिक्षा में पीएच.डी. की उपाधि हेतु

शोध प्रस्तावना

निर्देशक

जेवीएन डॉ. सी.एम. सारस्वत

शोधार्थी

जेवीएन सुमन कुमारी

शिक्षा विभाग

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय,

जयपुर (राजस्थान) भारत

2021

स्कूली शिक्षा संदर्भ में शिक्षा नीति 1986 और 2020 के मध्य तुलनात्मक शैक्षिक अध्ययन

प्रस्तावना

भारत प्राचीनकाल से ही विश्वगुरू रहा है। अपने उच्च स्तरीय शिक्षा स्थलों जैसे नालन्दा, तक्षशिला आदि के बल पर इसकी तूती पूरे विश्व में बोलती थी। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने को आते थे। शिक्षा स्थल ही वो केन्द्र बिंदु है जहाँ से राश्ट्र का निर्माण और विनाश दोनों ही सम्भव हो सकते है। नई राश्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सहभागी बनाया गया है। जिसमें 2 लाख सुझावों का सहारा लिया गया है। इस नीति में न केवल वर्तमान युवा पीढ़ी को ध्यान में रखा गया है बल्कि आने वाली पीढ़ी की अपेक्षाओं, आका ंक्षाओं व चुनौतियों का भी ध्यान रखा गया है। उच्च शिक्षा में सामान्य नामांकन अनुपात को 2035 तक 26.3 प्रतिशत (वर्तमान में) से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक लाना है। उच्च शिक्षा में सर्टिफिक`ट, डिप्लोमा एवं डिग्री पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। देश में 34 सालों बाद नई शिक्षा नीति आई है जो शोधपरक, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देती है। सरकार का यह प्रयास है कि 45 हजार से अधिक महाविद्यालयों और 15 लाख से अधिक स्कूलों में नई शिक्षा नीति के अनुरूप परिवर्तन किया जाए। सरकार का ऐसा प्रयास है कि तेजी से बदलते सामाजिक आर्थिक वैश्विक परिवेश में देश के युवाओं को सक्षम बनाया जाए। नई नीति का विजन ही ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है जिसमें भारतीय परम्पराओं और मूल्यों को जगह मिले। शिक्षा प्रणाली में इण्डिया की जगह भारत की झलक मिले।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986

वर्तमान शिक्षा नीति का अध्ययन कर एवं उसमे आवश्यक बदलाव हेतु 1983 में भारत सरकार के समक्ष कुछ प्रस्ताव रखे गए। यह प्रस्ताव भावी शिक्षा नीति के निर्माण के लिए की गयी थी। इसमे वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के दोषों को उजागर किया गया एवं उसमे उचित संशोधन हेतु बदलाव का प्रस्ताव 1983 में सरकार के समक्ष रखा गया और 1986 में उचित बदलावों के साथ नयी राष्ट्रीय शिक्षा को पारित कर दिया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा को भारत की वर्तमान स्थितियों एवं आदर्शों के अनुसार बनाया गया। जिसके द्वारा छात्रों में लोकतंत्र के प्रति आदर्श भावना का निर्माण करने एवं लोकतंत्र के प्रति आस्था भाव का विकास करने जैसे विचारों को सम्मिलित किया गया। इसके द्वारा छात्रों को वास्तविक शिक्षा प्रदान करने की योजनाओं का निर्धारण किया गया। जिससे वह अपने भावी जीवन मे जीविकोपार्जन कर सकें एवं समाज मे सम्मानपूर्वक रह सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विवेचना

इसमें सर्वप्रथम सुधार शिक्षा के ढाँचे में किया गया शिक्षा व्यवस्था में सुधार करते हुए 10+2+3 व्यवस्था को अपनाया गया। जिसमे देश की व्यवस्था के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण किया गया। इसमें ऐसी शिक्षा प्रदान करने की बात कही गयी जिससे लोकतंत्र कर उद्देश्यों की प्राप्ति सम्भव हो सकें। इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं लोकतंत्रीय शिक्षा के गुणों को प्रमुख स्थान दिया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने की बात कही गयी। शिक्षा प्रदान करने का माध्यम मात्रभाषा और क्षेत्रीय भाषा को बनाया गया। शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में विभाजित कर दिया गया। सभी शिक्षा के स्तर हेतु पाठ्यक्रम के योजना के निर्माण की तैयारी भी की गई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को छात्रों के वास्तविक जीवन से जोड़ा गया समाज की वास्तविक आवश्यकताओं के अध्ययन कर छात्रों को समाज के लिए तैयार करने हेतु छात्रों के व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की योजनाओं को प्रमुख स्थान दिया गया। इसके अंतर्गत छात्रों को तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया। जिससे वह भावी जीवन के लिए जेवीकोपार्जन हेतु तैयार हो सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मुख्य बिंदु जिनके द्वारा शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाया गया–

भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु सम्पूर्ण देश में एक शिक्षा व्यवस्था को अपनाते हुए 10+2+3 प्रणाली को अपनाया गया।

शिक्षा के उत्तम क्रियान्वयन हेतु शिक्षा के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी को केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं जिले के अनुसार विभाजित किया गया।

इसमें छात्रों के व्यावहारिक पक्ष एवं शारिरिक पक्ष पर बल देते हुए प्राथमिक शिक्षा में इनको मुख्य स्थान दिया गया। जिससे शिक्षा के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया एवं बुनियादी शिक्षा के स्वरूप को स्वीकार किया गया।

प्राथमिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए ब्लैकबोर्ड योजना का निर्माण किया गया एवं 90 प्रतिशत छात्रों को इसके द्वारा लाभ पहुचाने की योजना का निर्माण किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ऐसी नीति थी जिसको सफलतापूर्वक लागू करने का सम्पूर्ण प्रयास किया गया परंतु यह कहना गलत होगा कि यह अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल रहीं यह हम इसीलिये कह रहे हैं कि अगर हम भारत की वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली सभी को रोजगार प्राप्त करवाने हेतु असमर्थ साबित हुई हैं।

राष्ट्रीय (नई) शिक्षा नीति–2020

यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है। इससे पहले 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, जिसे 1992 मे संशोधित किया गया था।

नई शिक्षा नीति, 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को शत प्रतिशत (100 प्रतिशत) लाने का और केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6 प्रतिशत हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है।

इस नई शिक्षा नीति, 2020 के घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।

राष्ट्रीय (नई) शिक्षा नीति–2020 के प्रमुख बिंदु (स्कूली शिक्षा के संदर्भ में)

स्कूली शिक्षा के लिए शैक्षणिक ढांचे और पाठ्यक्रम रूपरेखा एक 5+3+3+4 डिज़ाइन से होगी। जिसके तहत क्रमशः

फाउंडेशनल स्टेज – आंगनवाड़ी/प्री–स्कूल के 3 साल + प्राथमिक के 2 साल (कक्षा 1–2) 3 से 8 वर्ष के बच्चों सहित।

प्रीपरेटरी स्टेज – 3 साल (कक्षा 3–5) 8 से 11 वर्ष के बच्चों सहित।

मिडिल स्कूल स्टेज – 3 साल (कक्षा 6–8) 11 से 14 वर्ष के बच्चों सहित।

सेकेंड्री स्टेज – 4 साल (कक्षा 9–12) 14 से 18 वर्ष के बच्चों सहित (2 फेज में, यानी पहले फेज मे कक्षा 9 और 10 और दूसरे फेज में 11 और 12)।

द डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा) पर बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान पर उच्चतर–गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराया जाएगा।

पाठ्यक्रम के विषय–वस्तु को प्रत्येक विषय में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीज़ों पर केन्द्रित किया जाएगा।

विद्यार्थियों को विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय मे अध्ययन करने के लिए अधिक लचीलापन और विषयों के चुनाव के विकल्प दिए जाएंगे इनमें शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प तथा व्यावसायिक विषय भी शामिल होंगे।

नई शिक्षा नीति 2020 में त्रि–भाषा फ़ॉर्मूले को लागू किया जाएगा। 3 भाषाओं के विकल्प राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से छात्रों के स्वयं के होंगे, जिनमें से कम से कम 3 मे 2 भारतीय भाषाएं हो।

विद्यार्थियों को कम उम्र में 'सही को करने' के महत्व को सिखाया जाएगा और नैतिक निर्णय लेने के लिए एक तार्किक ढाँचा दिया जाएगा।

स्कूल शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पठचर्या रूपरेखा एनसीएफएसई 2020–21 तैयार किया जाएगा और इसे सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के मार्गदर्शन में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सभी विद्यार्थियों के स्कूल आधारित आकलन के आधार पर तैयार होने वाले और अभिभावक को दिए जाने वाले प्रगति कार्ड को पुरी तरह से नया स्वरूप दिया जायेगा।

यह प्रगति कार्ड एक समग्र, 360–डिग्री, बहु–आयामी कार्ड होगा जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के संज्ञानात्मक, भावात्मक, साइकोमोटर डोमेन में विकास का बारीकी से किये गए विश्लेषण का विस्तृत विवरण, विद्यार्थियों की विशिष्टताओं समेत दिया जाएगा। इसमें स्व–मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन, प्रोजेक्ट कार्य और खोज–आधारित अध्ययन में प्रदर्शन, क्विज, रोल प्ले, समूह कार्य, पोर्टफोलियो आदि शिक्षक मूल्यांकन सहित शामिल होगा।

एमएचआरडी के तहत एक मानक–निर्धारक निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जो भारत के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए विद्यार्थी आकलन एवं मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशनिर्देश बनाने जैसे मूल उद्देश्यों को पूरा करेगा।

शिक्षकों को ऐसी शिक्षण विधि जो विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रभावी हो को अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा।

वर्ष 2021 तक एनसीटीई द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श से नई शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों के आधार पर एक नवीन और व्यापक अध्यापक शिक्षा हेतु, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, एनसीएफटीई 2021 तैयार की जाएगी और सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी।

नई शिक्षा नीति, 2020 विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चोंया दिव्यांग बच्चों को किसी भी अन्य बच्चों के समान अवसर प्रदान करने के लिए सक्षम तंत्र बनाने के महत्त्व को भी पहचानती है।

भारत सरकार सभी लड़कियों और साथ ही ट्रांसजेंडर छात्रों को गुणवत्तपूर्ण और न्यायसंगत शिक्षा प्रदान करने की दिशा में देश की क्षमता का विकास करने हेतु एक ' जेंडर–समावेशी निधि' का गठन करेगी।

एसईडीजी के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजातियों के शैक्षणिक विकास में असमानताओं को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

हर राज्य/जिले को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वह 'बाल भवन' स्थापित करे जहां हर उम्र के बच्चे सप्ताह में एक या अधिक बार जा सकें और कला, खेल और करियर संबंधी गतिविधियों में भागीदारी कर सकें।

संपूर्ण राज्य के सार्वजनिक विद्यालयी प्रणाली के सेवा प्रावधान और शैक्षिक संचालन की ज़िम्मेदारी स्कूल शिक्षा निदेशालय की होगी जिसमें डिईओ, बीईओ आदि भी शामिल हैं।

राज्य में अकादमिक मानकों और पाठ्यक्रम सहित शैक्षणिक मामले एससीईआरटी के नेतृत्व में होंगे, जो कि एक संस्थान के रूप में सदृढ़ किया जाएगा।

साहित्य समीक्षा

गंगवाल सुभाष 2020 ने लिखा है कि 21वीं सदी ज्ञान प्रधान सदी है जिसमें विज्ञान एवं तकनीकी विकास परिवर्तन के प्रमुख आधार है। किसी भी देश, समाज और परिवार को विकसित, समृद्ध एवं प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिए शिक्षा को महत्व देना होगा। भारत में शिक्षा केन्द्र एवं राज्यों का विशय है। केन्द्र सरकार राष्ट्रीय हित में शिक्षा का मसौदा तैयार करती है, जिसका अनुमोदन संसद द्वारा लिया जाता है लेकिन राज्यों की विधान सभाओ ं को भी विचार विमर्श, बहस के माध्यम से अनुमति प्रदान करनी होती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सहभागी बनाया गया है। जिसमें 2 लाख सुझावों का सहारा लिया गया है।

नीति का मसौदा निर्माण डॉ. कस्तुरी रंगन की अध्यक्षता में बनी समिति द्वारा किया गया है ताकि पक्षपात का आरोप नहीं लगाया जा सके। देश में एक सी शिक्षा नीति के लक्ष्य को भी ध्यान में रखा गया है। इस नीति में न केवल वर्तमान युवा पीढ़ी सके। शिक्षा परिवर्तन और सशक्तिकरण का साधन है।

एस. राधाकृष्ण आयोग 1948, डी.एस. कोठारी आयोग 1964, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, अध्यापक राष्ट्रीय आयोग 1983, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 1999

और अनेक शिक्षा नीतियों के विचारों से बल मिले। इसका उद्देश्य ऐसी समतावादी और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रणाली बनाना है जिससे एक ज्ञान आधारित समाज का निर्माण हो। इसमें प्राचीन ज्ञान से लेकर आधुनिक ज्ञान को शामिल किया गया है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण आदि सब को शामिल किया गया है। इस नीति में सभी विद्यार्थियों को चाहे उनका निवास स्थान कहीं भी हो उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करनी होगी। हाशिए पर रह रहे समुदायों, वंचित और अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों पर अधिक विशेश ध्यान देने की आवश्यकता है।

इस नीति के प्रमुख सिद्वान्त इस प्रकार है— 1. हर बच्चे की विशिश्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना। 2. बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना। 3. शिक्षा में लचीलापन लाना ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के अनुसार पाठ्यक्रम चुनने की आजादी हों। 4. कला एवं विज्ञान, पाठ्यक्रम और पाठ्येत्तर गतिविधियो ं में, व्यावसायिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों में विरोध एवं अलगाव की भावना नहीं हो। 5. एक बहु विशयक और समग्र शिक्षा का विकास करना। 6. अवधारणात्मक सोच का विकास करना न कि रटंत एवं परीक्षा की पढ़ाई पर जोर। 7. रचनात्मक एवं तार्किक सोच का विकास करना ताकि नवाचारों को प्रोत्साहन मिले। 8. नैतिकता, मानवीय और स ंवैधानिक मूल्यो ं का विकास करना। 9. बहुभाशा शिक्षा प्रणाली अपनाना ताकि अध्ययन—अध्यापन कार्य में भाशा की शक्ति को पहचान मिल सके। 10. जीवन कौशल अर्थात आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्यों को बढ़ावा देना। 11. सीखनें के लिए सतत् मूल्यांकन पर जोर देना न कि परीक्षा को महत्व देना ताकि कोचि ंग स ंस्कृति का विनाश हो सकें। 12. शिक्षा को सरल एवं सुलभ बनाने के लिए तकनीक पर जोर देना। 13. विविधता और स्थानीय परिवेश को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देना। 14. सभी शैक्षणिक निर्णयों में पूर्ण क्षमता और समावेशन को ध्यान में रखना। 15. विद्यालय से महाविद्यालय शिक्षा तक सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों में तालमेल एवं सामंजस्य बिठाना। 16. शिक्षकों एवं संकाय को सीखने का केंद्र मानते हुए इनकी भर्ती आदि हेतु उन्नत सुविधाओं का विकास करना। 17. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृश्ट स्तर के शोध का विकास करना। 18. भारतीय परम्पराओ ं एवं गौरव का विकास करना। देश की प्राचीन एवं आधुनिक संस्कृति, ज्ञान एवं परम्पराओं का समावेश करना। 19. शिक्षा को सार्वजनिक सेवा मानते हुए इसे प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाए। इस हेतु आवश्यक प्रयास करना। 20. मजबूत और जीवंत शिक्षा प्रणाली हेतु शिक्षा में पर्याप्त निवेश को बढ़ावा देना।

सभी पाठ्यक्रमों में सुधार प्रारम्भ से ही किया जाएगा। शिक्षा के व्यावसायिकरण पर रोक लगेगी। अगर कोई संस्थान अतिरिक्त कमाई करता है तो उसे शिक्षा के विकास में खर्च करना होगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के

अधिकार से सम्बन्धित ऑडिट रिपोर्ट 21 जुलाई 2017 को जारी की गई जिसमें यह बताया गया था कि राज्य सरकारें काफी फण्ड रिटेन करके रखा हुआ है अर्थात व्यय किया ही नहीं है जो कि शिक्षा पर खर्च होना चाहिए था, जो कि एक कमजोर वित्तीय नियंत्रण को बताता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 35 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश 6 वर्शों में 12,259 से 17,282 करोड़ रूपये खर्च ही नहीं कर पाए। स्कूल शिक्षा का बजट कम होता जा रहा है। 2014–15 में यह बजट 55,115 करोड़ रूपए था। वर्श 2016–17 में यह 43,554 करोड़ रूपए हो गया। परन्तु 2019–20 में यह राशि 56,536 करोड़ रूपए हो गया। उच्च शिक्षा में सरकार द्वारा जो खर्च किया रहा है उसे अधिक तार्किक एवं लक्ष्य केन्द्रित बनाने की जरूरत है। शिक्षा में सुधार के लिए यह भी जरूरी है कि शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए। शिक्षा का अधिक नीजिकरण नहीं करना चाहिए अन्यथा वह एक व्यवसाय बन जाती है जिसका समाज सेवा से कोई सरोकार नहीं होता। शिक्षा में तकनीक अधिक भूमिका निभा रहा है। उपस्थिति से लेकर पढ़ाने एवं सिखाने का काम भी अब तकनीक के माध्यम से किया जाने लगा है। शिक्षा का क्षेत्र ही ऐसा है जहाँ पर किया गया विनियोग कभी भी बेकार नहीं जाता। शिक्षा में बार–बार नवीन परिवर्तन करने की बजाए मौजूदा योजनाओं को ही सही व्यवस्था एवं तरीकों से लागू करना चाहिए। गरीब और वंचित वर्गों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। आज भी देश में बिना मान्यता प्राप्त किए विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। शिक्षकों और छात्रों का अनुपात बराबर नहीं है। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाता है। ये वे आवश्यक विशय है जिन पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों को ध्यान देना चाहिए। आज तकनीकी शिक्षा में विज्ञान और इंटरनेट सम्बन्धी विशय अंग्रेजी में ही होते है। जिनका हिंदीकरण किया जाना आसान कार्य नहीं है। ऐसी दशा में यदि हमारा पूरा फोकस हिन्दी, मातृभाशा और क्षेत्रीय भाशाओं पर रहेगा तो देश में रोजगार के अवसरों में कमी होगी और हम तकनीकी और आर्थिक विकास की दृश्टि से काफी पिछड़ जाएंगें। एक कल्याणकारी देश की उन्नति एवं उन्नत भविश्य के लिए युवाओं को ऐसी शिक्षा देने की नीति होनी चाहिए कि वे भावी परिर्वतनों में अपने आप को समायोजित करके अपना विकास कर सके। इसके लिए सभी राज्य सरकारों एवं केन्द्र सरकार को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति 2020 का इस प्रकार से क्रियान्वयन करना है कि सभी को विकास के उचित अवसर मिल सके।

अध्ययन का औचित्य

भारत में शिक्षा नीतियां समय–समय पर बदलती गई है परंतु उन परिवर्तनों का उद्देश्यपूर्ण होते दिखाई नहीं देता है। समस्याऐं कम होने के स्थान पर बढ़ रही है। ऐसे में शिक्षा नीतियां प्राथमिक स्तर के लिए कम और उच्च शिक्षा के लिए अधिक बनाई जाती है। वर्तमान में 2020 की नई शिक्षा नीति में सभी स्तरों पर शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन किया

गया है। यह 1986 की शिक्षा नीति से पूर्णतः भिन्न है परंतु क्या नई शिक्षा नीति अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेगी अथवा इसमें भी कई विसंगतियां है। इन्हीं विसंगतियों का पता लगाना अध्ययन का औचित्य है जिससे वर्तमान शिक्षा नीति को परिष्कृत करते हुए प्राथमिक स्तर की शिक्षा को सुधारा जा सके क्योंकि प्राथमिक स्तर की शिक्षा किसी भी नागरिक के व्यक्तित्व और देश की नींव रखती है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. स्कूली शिक्षा संदर्भ में शिक्षा नीति 1986 की सफलताओं और असफलताओं का पता लगाना।

2. स्कूली शिक्षा संदर्भ में शिक्षा नीति 2020 और 1986 के मध्य तुलना करना।

3. स्कूली शिक्षा संदर्भ में शिक्षा नीति 2020 और 1986 की विसंगतियों और विशेषताओं का पता लगाना।

4. स्कूली शिक्षा संदर्भ में शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में शिक्षाविदो, अभिभावकों और शिक्षकों के नवाचारों को जानना।

5. स्कूली शिक्षा संदर्भ में नई शिक्षा नीति की विसंगतियों को दूर करने के लिए समाधानों का पता लगाना।

परिकल्पनाऐं

1. स्कूली शिक्षा संदर्भ में शिक्षा नीति 1986 और 2020 की विसंगतियों के मध्य कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।

2. स्कूली शिक्षा संदर्भ में शिक्षा नीति 1986 और 2020 के महत्व के मध्य कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।

3. स्कूली शिक्षा संदर्भ में शिक्षा नीति 1986 और 2020 में शिक्षाविदों के नवाचारो के मध्य कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।

4. स्कूली शिक्षा संदर्भ में शिक्षा नीति 1986 और 2020 में अध्यापको के नवाचारो के मध्य कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।

5. स्कूली शिक्षा संदर्भ में शिक्षा नीति 1986 और 2020 में अभिभावकों के नवाचारो के मध्य कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।

शोध आकल्प

प्रस्तुत शोध हेतु अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प का चयन किया जाएगा।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध हेतु विश्लेषणात्मक शोध विधि का उपयोग किया जाएगा। इसमें दोनों शिक्षा नीतियों का विस्तृत अध्ययन करते हुए उनकी विशेषताओं और विसंगतियों का विवेचन प्रस्तुत किया जाएगा।

शोध क्षेत्र

प्रस्तुत शोध में शोध क्षेत्र के रूप में शिक्षा नीति 1986 और शिक्षा नीति 2020 से संबंधित विश्लेषण, तुलनात्मक परिपत्र, शोध कार्यों को चयनित किया गया है।

परिसीमन

प्रस्तुत शोध झालावाड़ जिले तक सीमित होगा।

प्रस्तुत शोध में शिक्षा नीति 1986 और 2020 के संदर्भ में ही अध्ययन किया जाएगा।

प्रस्तुत शोध में शिक्षा नीतियों का विश्लेषण के संदर्भ तक ही सीमित होगा।

अध्याय विन्यास

1. परिचयात्मक
2. संबंधित साहित्य समीक्षा
3. शोध विधि
4. तथ्यों का विश्लेषण
5. निष्कर्ष एवं सुझाव

संदर्भ

1. प्रकाश कुमार, 21वीं सदी की मांग पूरी करेगी नई शिक्षा नीति, आउटलुक हिंदी, 24 अगस्त 2020

2. राश्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार

3. प्रो. के. एल भार्मा, दैनिक भास्कर जयपुर संस्करण, पृष्ठ संख्या 2, 24 अगस्त 2020

4. गंगवाल सुभाश, नई शिक्षा नीति 21वीं सदी की चुनौतियों का करेगी मुकाबला, दैनिक नवज्योति, पृष्ठ संख्या 4, 22 अगस्त 2020

5. राजस्थान पत्रिका नागौर, 28 जनवरी 2020, सम्पादकीय पृष्ठ

6. तन्खा वरूण, सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता, राजस्थान पत्रिका नागौर, 26 अगस्त 2020, सम्पादकीय पृष्ठ

7. सिंह दुर्गेश, क्रॉनिकल मासिक पत्रिका, मई 2020, पृष्ठ संख्या 80–81